

सेबी के नए नियम: सचवालय लेखा परीक्षा है अनविरय

चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रतभूत एवं वनिमिय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India) ने शेयर बाज़ार की सूची में सम्मलित सभी कंपनियों तथा ऐसी कंपनियों की "महत्वपूर्ण गैर-सूचीबद्ध" (material unlisted) सहायक कंपनियों के लिये सचवालय लेखा परीक्षा अनविरय कर दी है।

परमुख बदि:

- यह नरिणय कॉर्पोरेट प्रशासन पर उदय कोटक समति द्वारा अनुशंसति समूहकि नगिरानी को मज़बूत करने तथा सामूहकि स्तर पर अनुपालन में सुधार के उद्देश्य से, 'लसिटिगि दायतिवों और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ (LODR)' के नियमों के तहत लयिा गया है।
- ध्यातव्य है कि कंपनी अधनियम पहले से ही (2014 से) सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लिये इस तरह की लेखापरीक्षा का प्रावधान करता है।
- सेबी ने अब यह भी स्पष्ट कयिा है कि कंपनी सचवों और मुख्य वत्तितीय अधिकारियों (CFOs) को वरिषिठ प्रबंधन" का हसिसा माना जाना चाहयिे।
- इसलएिे बोर्ड की नामांकन तथा पारशिरमकि समति (Nomination and Remuneration Committee of the Board) द्वारा उनके पारशिरमकि की सफिरशि की जानी चाहयिे।
- वरिषिठ प्रबंधन के हसिसे के रूप में मुख्य वत्तितीय अधिकारियों (CFOs) का अनविरय समावेशन न केवल उनकी वैधानकि भूमकि को मान्यता देता है बलकि समगर बोर्ड प्रशासन में उनकी ज़मिमेदारियों और स्थतियों का भी सम्मान करता है।
- सेबी को यह उम्मीद है कि कंपनी सचवि बोर्ड की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये स्वयं को प्रशासनकि पेशेवरों के रूप में परिवरतति करके इस मान्यता का सम्मान करेंगे।

सेबी-

- यह भारतीय प्रतभूत बाज़ार की नियामक संस्था है, जसिकी स्थापना 1988 में हुई थी।
- सेबी अधनियम, 1992 के माध्यम से 30 जनवरी 1992 को सेबी को वैधानकि शक्तियों प्रदान की गई थीं।
- सेबी अर्द्ध-वधिायी, अर्द्ध-न्यायकि और अर्द्ध-कार्यकारी तीनों प्रकार के कार्य संपादति करता है।

उदय कोटक समति

- भारतीय प्रतभूत एवं वनिमिय बोर्ड ने भारतीय कंपनियों में कॉर्पोरेट प्रशासन से संबंधति मुद्दों पर सलाह देने के लिये 2 जून, 2017 को इस समति का गठन कयिा था।
- इस समति को चार माह के अंदर अपनी रपिरट प्रस्तुत करनी थी।
- इस समति के अध्यक्ष कोटक महदिरा बैंक के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध नदिशक उदय कोटक थे।